

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक / पीलीभीत, दिनांक /2008

सेवा में

जिलाधिकारी
पीलीभीत

विषय – लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1) बी. के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ – आपका पत्रांक सं० 1388 / (75)रा०सहा०-08 दिनांक 23.6.08

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित प्रपत्र एवं दो-दो सी०डी० सहित संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
पीलीभीत वन प्रभाग

जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्रम सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कार्य एवं कर्तव्य	पीलीभीत वन प्रभाग आरक्षित वन प्रभाग है। प्रभाग के अन्तर्गत 5 वन क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो वन प्रभाग में स्थित साल, सागौन, शीशम, खैर इत्यादि बहुमूल्य वृक्षों एवं वन भूमि की सुरक्षा हेतु कार्य करते हैं एवं आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर प्रतिवर्ष नया पौधारोपण का कार्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण का विदोहन न हो इसके लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है।
2	अपने अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी, राज्य सरकार के आधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3	निर्णय पारित करने की प्रक्रिया और इनके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जबावदेही रीतियाँ	निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी माला एवं पूरनपुर, प्रभारी सुरक्षा ए०पी०गार्ड, कार्यालय सहायक , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यरत हैं। कार्यालय सिविल लाईंस , बनकटी रोड पीलीभीत में स्थित है।
4	अपने कार्यों को सम्पादित करने हेतु अपनाया जाने वाला मापदण्ड	प्रभागीय वनाधिकारी, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण में उप प्रभागीय वनाधिकारी माला एवं पूरनपुर, वन क्षेत्राधिकारी, माला , महोफ, हरीपपु, दियोरिया, बराही, वनविद, वन सुरक्षा गार्ड, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहकर शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियन्त्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशकाओं तथा अभिलेख	संस्था द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी माला एवं पूरनपुर, वन क्षेत्राधिकारी, वनविद, वन सुरक्षा गार्ड , कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी जो कार्यरत हैं को शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुये आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
6	अपने अधीन या धारित अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।
7	कोई प्रबन्ध जो परामर्श के लिये अस्तित्व में है या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है। वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेने का विवरण	इस संस्था का शासन के निर्देश तथा जिला स्तर की कमेटियों जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों/ जन प्रतिनिधि भाग लेते हैं विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालन किया जाता है।
8	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के

	निकाय जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से भागरूप में गठित है या इसके सलाल के लिये का विवरण और अन्य बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिये खोले गये हैं या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुँच के अधीन का विवरण	अनुरूप अधिकारियों की राय एवं सुझाव लिये जाते हैं तदनुसार विभाग के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत (आदेशों) निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक इसके अन्तर्गत प्रतिकर/का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबन्धित है भी सम्मिलित है।	संस्था नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के आकड़ें उपलब्ध कराती हैं तथा मासिक, त्रैमासिक आकड़ें वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त बरेली, उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाते हैं।
11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उन्से सम्बन्धित है जिसमें सभी योजनाओं प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानों का विवरण	जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर की योजनाओं के अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण, पौधशाला, प्रबन्ध, आवासीय भवनों के मरम्मत, आदि विभागीय कार्यों हेतु बजट का आवंटन प्राप्त होता है। जिसका माहवार, मासिक सूचना, महालेखाकार एवं वृत्त कार्यालय को भेजी जाती है। वन निगम से वन जमा के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का भी साल क्षेत्रों के वनों का अनुरक्षण व्यय मासिक व्यय में शामिल रहता है। वर्तमान में जिला एवं राज्य सैक्टर के अन्तर्गत मु0 131.24 लाख बजट आवंटित है।
12	उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे का विवरण	योजनावार कार्यक्रमों पर आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों के अनुसार लाभार्थियों की मानव दिवस की सूचना प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तर एवं वृत्त कार्यालय को भेजी जाती है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों, अधिकार पत्रों, अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	संस्था द्वारा कोई अनुदत्त छूट के अधिकार नहीं दिये जाते हैं।
14	अपने द्वारा प्रदान की गई सूचना या प्रदान न की गई सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निवद्ध की गई सूचना का विवरण	संस्था द्वारा समस्त सूचनार्ये उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं। आवश्यकतानुसार पिट मिडिया/इलेक्ट्रानिक मिडिया के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है।
15	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें इसके अन्तर्गत पुस्तकालय के कार्यों की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिये का विवरण	कोई ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद	श्री आलोक श्रीवास्तव, प्रथम अपीलीय अधिकारी,

तथा अन्य विवरण

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, जन सूचना अधिकारी, श्री
वृन्दावन वर्मा, अलीजान असांरी, श्री इम्तियाज
अहमद सिददकी, सहायक जन सूचना अधिकारी।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
पीलीभीत वन प्रभाग

शासनादेश सं० – 556/43-2-2008-15/2(3)/2007 पी०सी० दिनांक 6 जून 08
का संलग्नक –

विभाग का नाम – पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत

क्र० स०	विभाग तथा विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगम/ उपकरण/ परिसर/बोर्ड /सस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार किये गये बेबसाइड पर लोड किये गये मैनुअल की सं०	अवशेष मैनुअल की सं०	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत	16	—	—

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
पीलीभीत वन प्रभाग

शासनादेश सं० – 556/43-2-2008-15/2(3)/2007 पी०सी० दिनांक 6 जून 08
का संलग्नक –

विभाग का नाम – पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत

क्र० स०	विभाग तथा विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगम/ उपकरण/ परिसर/बोर्ड /सस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार किये गये बेबसाइड पर लोड किये गये मैनुअल की सं०	अवशेष मैनुअल की सं०	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत	16	—	—

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी

पीलीभीत वन प्रभाग

